

10. The Bidder/firm unconditionally acknowledges and accepts that
- i. While these documents has been prepared in good faith, neither the firm nor its employees or advisors make any representation, or warranty, express or implied or accept any responsibility or liability, whatsoever, in respect of any statements or omissions herein, or the accuracy, completeness or reliability of information and shall incur no liability under any law, statute, rules or regulations as to the accuracy, reliability or completeness of the information, even if any loss or damage is caused by any act or omission on their part”.
 - ii. “The Bidder/firm shall make independent enquiry and satisfy itself with respect to all the required information, inputs, conditions and circumstances and factors that may have any effect on his Offer. While submitting the tender the Bidder shall be deemed to have inspected and examined the conditions examined the laws and regulations in force in India, the transportation facilities available in India, the conditions of roads, bridges, ports etc. for unloading and/or transporting of material and has based its design, equipment size and fixed its price taking into account all such relevant conditions and also the risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the supply of the products.
 - iii. Accordingly, Bidder/firm acknowledges that, on being selected for empanelment under the Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana shall not be relieved from any of its obligations nor shall the Bidder be entitled to any extension of time or financial compensation by reason of the unsuitability of anything for whatever reason.

Yours faithfully,

Name

Seal and Signature of firm

Joint inspection report for verification of solar power plant material at site

S.1	Particulars	Details
1	Name of Beneficiary	
2	Project Site/Location Address (with pin)	
3	Contact no of beneficiary	
4	Date of Letter of Award (LOA)	
5	Registration No.	
6	Capacity of Solar Power Plant in KW	
7	Longitude/ Latitude of site	
8	Availability of solar module at site (Yes/No)	
9	Specification of solar modules a) Type of modules (Mono/Poly/other) b) Make of Modules and year of manufacturing c) Wattage and no of modules	
10	Availability of Invertor at site (Yes/No)	
11	Specification of the PCU/Inverter a) Make b) Rating (KVA)	
12	Availability of structure and any other material (Yes/No)	
14	Date of Inspection by UREDA Officials	

Joint inspection report by UREDA Official and installation Firm:-

Certified that as per above mentioned material related to above Solar PV Power Plant available at site location and has been checked and found to be in accordance with the MNRE specifications.

Signature of UREDA official with Seal Name & Designation:- Date:-	Signature of authorized Signatory of Firm with Seal..... Name & Designation:- Date:-	Signature of developer..... Name : Date:-
--	---	--

Joint inspection report for Solar PV Power Plant

S. I	Particulars	Details
1	Name of Beneficiary	
2	Project Site/Location Address (with pin)	
3	Date of Letter of Award (LOA)	
4	Contact no of beneficiary	
5	Registration No.	
6	Capacity of Solar Power Plant in KW	
7	Longitude/ Latitude of site	
8	Specification of solar modules d) Type of modules (Mono/Poly/other) e) Make of Modules and year of manufacturing f) Wattage and no of modules g) Indigenous modules or imported modules	
9	Specification of the PCU/Inverter c) Make d) Rating (KVA)	
10	Performance Ratio TEST	
	A= Measure output in KW	
	B = Installed Plant Capacity in KWp	
	C = Measured radiation intensity in W/m ²	
	Performance Ratio (%) = $\frac{A \times 1000}{B \times C}$ <div>(should not be less than 0.75)</div>	
11	Lightening arrester installed (Yes/No)	
12	Date of report issued by electrical safety department	
13	Date of Meter Sealing of Solar Power Plant to UPCL Grid (as per UPCL meter sealing report/Commissioning certificate)	
14	Date of Inspection by UREDA Officials	

Joint inspection report by UREDA Official and installation Firm:-

Certified that the above mentioned Solar PV Power Plant installed byhas been checked and found to be in accordance with the MNRE specifications and is working satisfactorily.

Signature of UREDA official with Seal	Signature of authorized signatory of Firm with Seal.....	Signature of developer.....
Name & Designation:- Date:-	Name & Designation:- Date:-	Name : Date:-

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-01
संख्या-697/1-1/2020-03/02/2020
देहरादून : दिनांक : 22 सितम्बर, 2020

“मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना”

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-


1. योजना का उद्देश्य :-

प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों एवं कृषकों को रोजगार/व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा पा रहा है, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 को विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- (i) प्रदेश के बेरोजगारों, उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्व-रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
- (ii) पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना।
- (iii) ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है, पर सोलर पावर प्लान्ट लगाकर आय के साधन विकसित कराना।
- (iv) प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा आर0पी0ओ0 की पूर्ति सुनिश्चित कराना।
- (v) योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना के साथ-साथ उक्त भूमि पर मौन पालन तथा फल, सब्जी एवं जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन विकसित कराया जाना।

2. योजना का विवरण :-

- (i) इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” होगा।
- (ii) यह योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी।
- (iii) इस योजना के अन्तर्गत 25 किलोवॉट क्षमता के ही सोलर पावर प्लान्ट अनुमन्य किये जायेंगे।




- (iv) इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर सकेंगे।
- (v) इस योजना के अन्तर्गत 10000 परियोजनाएँ पात्र आवेदकों को आवंटित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण MSME एवं वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।
- (vi) इस योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-580/VII-3/01(03)-एम०एस०एम०ई०/2020 दि०-09 मई, 2020 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया जायेगा तथा योजना के अन्तर्गत आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) विभाग द्वारा लागू "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
- (vii) इस योजना के अन्तर्गत MSME Online Portal के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
- (viii) इस योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० (यू०पी०सी०एल०) एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहयोगी संस्था के रूप में कार्य किया जायेगा।

3. योजना हेतु पात्रता :-

- (i) यह योजना केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों हेतु ही मान्य होगी।
- (ii) इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उद्यमशील युवक, ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, प्रतिभाग कर सकते हैं।
- (iii) इस योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- (iv) इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जायेगा।

4. परियोजना हेतु तकनीकी मानक :-

- (i) इस योजना के अन्तर्गत 25 किलोवॉट क्षमता के संयंत्र आवंटित किये जायेंगे।
- (ii) 25 किलोवॉट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु लगभग 1.5 से 2.0 नाली (300 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता होगी।
- (iii) 25 किलोवॉट क्षमता तक के संयंत्र की स्थापना पर लगभग 40 हजार प्रति किलोवॉट की दर से कुल 10 लाख का व्यय सम्भावित है।
- (iv) उत्तराखण्ड राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवॉट क्षमता के संयंत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि०वॉ० की दर से कुल 38000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन हो सकता है।



- (v) इस योजना के अन्तर्गत यू0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित 63 KVA एवं इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसफार्मर्स से पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) तक सोलर पावर प्लान्ट (संयंत्र) आवंटित किये जायेंगे। यदि ट्रांसफार्मर के आस-पास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं, तो ऐसी दशा में आवेदकों के वार्षिक न्यूनतम आय के आधार पर परियोजना आवंटन की जायेगी।
- (vi) प्रदेश में यू0पी0सी0एल0 द्वारा 63 KVA एवं उससे अधिक क्षमता के स्थापित समस्त ट्रांसफार्मर्स के स्थलों की सूचना Online Portal पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
- (vii) इस योजना के अन्तर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विद्युत को उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0) द्वारा मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक क्रय किया जायेगा।
- (viii) यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय करने हेतु सम्बन्धित लाभार्थी के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) किया जायेगा।

5. योजना हेतु ऋण एवं अनुमन्य लाभ :-

- (i) इस योजना में उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी बैंको द्वारा चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता के आधार पर 8.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ii) इस योजना में संयंत्र की कुल लागत का 70% तक अंश लाभार्थी को ऋण के रूप में राज्य/सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा तथा शेष राशि सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जायेगी।
- (iii) इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को MSME विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्राविधानित मार्जिन मनी/अनुदान एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
- (iv) सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 15 वर्ष की अवधि हेतु ऋण दिया जायेगा।
- (v) यदि कोई लाभार्थी स्वयं के व्यय पर अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सोलर पावर प्लान्ट लगाना चाहता है, तो उस लाभार्थी को भी एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
- (vi) इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को अपनी भूमि के भू-परिवर्तन उपरान्त Mortgage करने के लिये लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जायेगी।
- (vii) इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को संयंत्र स्थापित किये जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय एवं स्कन्ध पादपों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराये

